

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

विविध आप. प्र.क्र.-81 / 14

संस्थित दिनांक-19.06.2013

श्रीमति सरिताबाई पति सुरेन्द्र कतलाम, उम्र 35 साल,
निवासी गुदमा केम्प उकवा माइन कालोनी, कमरा नं02,
तहसील परसवाड़ा, जिला बालाघाट हाल मुकाम सी/0
भीकम खान के मकान में उकवा तहसील परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — आवेदिका

— / / विरुद्ध / / —

सुरेन्द्र पिता देवलाल, उम्र 40 साल, निवासी गुदमा,
केम्प उकवा माइन कालोनी कमरा नं02 तह. परसवाड़ा,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अनावेदक

आवेदिका की ओर से श्री बी.एल.राणा अधिवक्ता।
अनावेदक एकपक्षीय।

— :: आदेश :: —

(आज दिनांक 12/09/2014 को पारित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रस्तुति दिनांक 19/06/2013 का निराकरण किया जा रहा है।
- (02) आवेदिका का आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है बतौर पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन नौ वर्ष निर्वाह

किया। अनावेदक के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक रहने लगी। दिनांक 04.06.2013 को अनावेदक आवेदिका को माईन कालोनी उकवा में उसके मायके से लेकर आया तो आवेदिका को मालूम हुआ कि अनावेदक की एक और पत्नी है और उसके साथ मिलकर अनावेदक आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा और गाली गलौच और मारपीट करने लगा और बोला कि तु यहाँ से चली जा, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चौकी उकवा में की थी।

(03) अनावेदक के उपेक्षापूर्ण व्यवहार एवं प्रताड़ित करने के कारण आवेदिका उसके माता पिता के पास रहने लगी उसके माता-पिता वृद्ध हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अनावेदक उकवा खान में कार्यरत हैं उसे 25,000/- रुपये वेतन मिलता है। आवेदिका कमाने खाने में सक्षम नहीं है। आवेदिका अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है। आवेदिका अनावेदक की विवाहिता पत्नी है और आवेदिका का भरण-पोषण करने का दायित्व अनावेदक का है। आवेदिका का रहने के लिये मकान किराया, खाने पीने और कपड़े और ईलाज के लिये 5000/- रुपये भरण-पोषण राशि की आवश्यकता है। आवेदिका को अनावेदक से प्रतिमाह 5000/- रुपये भरण-पोषण राशि दिलाई जावे।

(04) अनावेदक दिनांक 26.06.2014 को अनुपस्थित रहा। अनावेदक की अनुपस्थिति के कारण अनावेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

(05) आवेदिका के भरण-पोषण आवेदन-पत्र का निराकरण करने हेतु निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है ?

(ब) क्या आवेदिका का अनावेदक से पृथक रहने का पर्याप्त कारण है तथा अनावेदक सक्षम होते हुए भी आवेदिका का भरण-पोषण करने में उपेक्षा बरत रहा है ?

(स) क्या आवेदिका अनावेदक से भरण-पोषण राशि प्राप्त करने की अधिकारी है ?

—:: सकारण — निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक “अ” एवं “ब” :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु क्र. ‘अ’ व ‘ब’ का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) आवेदिका साक्षी सरिता (अ.सा.01) का कहना है कि अनावेदक सुरेन्द्र उसका पति है। अनावेदक से उसका विवाह उसके कथन से नौ वर्ष पूर्व हुआ था। अनावेदक के साथ उसने दाम्पत्य जीवन का निर्वाहन नौ वर्ष उकवा में रहकर किया। दिनांक 04.03.2013 को अनावेदक उसे रहने के लिये उकवा माईन कालोनी में लेकर गया तो उसे मालूम हुआ कि अनावेदक की एक और पत्नी है जो उसी मकान में रहती है। अनावेदक और उसकी दूसरी पत्नी उसके साथ मारपीट करते हैं, जिसकी रिपोर्ट उसने उकवा चौकी में की थी और बालाघाट महिला परामर्श केन्द्र में की। अनावेदक और उसकी दूसरी पत्नी के द्वारा मारपीट करने से वह पृथक निवास कर रही है और उसके रहने के लिये मकान, खाने के लिये सामाग्री एवं पहनने के लिये कपड़े की आवश्यकता है। अतः उसे 5000/-रूपये प्रतिमाह की भरण-पोषण राशि अनावेदक से दिलाई जावे। अनावेदक उकवा खान में स्थान कामगार है जिससे 25,000/-रूपये प्रतिमाह वेतन मिलता है। अनावेदक आवेदिका का भरण-पोषण करने में सक्षम है।

(08) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है बतौर पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन नौ वर्ष निर्वाह किया। अनावेदक के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक रहने लगी। दिनांक 04.06.2013 को अनावेदक आवेदिका को माईन कालोनी उकवा में उसके मायके से लेकर आया तो आवेदिका को मालूम हुआ कि अनावेदक की एक और पत्नी है और उसके

साथ मिलकर अनावेदक आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा और गाली गलौच और मारपीट करने लगा और बोला कि तु यहाँ से चली जा, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चौकी उकवा में की थी। यह साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। आवेदिका अनावेदक वैध विवाहिता पत्नी है। यह भी साक्ष्य विवेचना से स्पष्ट प्रतीत होता है। यदि अनावेदक इंडिया लिमिटेड मैंगनीज खान में कामगार है तो भी वह 10,000-12,000/-रुपये प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता होगा यह मान लिया जाये तो वह आवेदिका के भरण-पोषण करने में सक्षम है। अनावेदक ने आवेदिका का रहने, खाने पीने की भरण-पोषण की व्यवस्था की ऐसी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। इससे भी प्रतीत होता है कि अनावेदक आवेदिका की भरण-पोषण में उपेक्षा बरत रहा है। आवेदिका ने भरण-पोषण, एवं रहने खाने पीने हेतु 5000/-रुपये प्रतिमाह का खर्च होना बताया है, किन्तु इस संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। यदि मान भी लिया जाये कि आवेदिका पृथक रहकर निवास कर रही है तो आवेदिका और भरण-पोषण में 1000-1500/-रुपये प्रतिमाह खर्चा होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक "स" :-

(09) विचारणीय बिन्दु क 'अ' एवं 'ब' के निष्कर्ष के आधार पर आवेदिका अनावेदक की वैध विवाहिता पत्नी है बतौर पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन नौ वर्ष निर्वाह किया। अनावेदक के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण आवेदिका अनावेदक से पृथक रहने लगी। दिनांक 04.06.2013 को अनावेदक आवेदिका को माईन कालोनी उकवा में उसके मायके से लेकर आया तो आवेदिका को मालूम हुआ कि अनावेदक की एक और पत्नी है और उसके साथ मिलकर अनावेदक आवेदिका को प्रताड़ित करने लगा और गाली गलौच और मारपीट करने लगा और बोला कि तु यहाँ से चली जा, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस चौकी उकवा में की थी। आवेदिका भरण-पोषण का दायित्व उसके पति पर है। अनावेदक का भी नैतिक एवं विधिक दायित्व है कि वह उसकी पत्नी का

विविध आप. प्र.क्र.-81 / 14

भरण-पोषण करें। आवेदिका अनावेदक से भरण-पोषण की राशि प्राप्त करने की अधिकारी है।

(10) उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 स्वीकार कर अनावेदक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदिका को भरण-पोषण रुपये 1000 / - (एक हजार) आदेश दिनांक से अदा करें।

(11) आदेश की एक प्रति आवेदिका को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित, दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट